राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 1(14)/ग्रावि./नरेगा/वेज रेट/2010 जयपुर दिनांक 25 JAN 2011

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 1.1.2011 से टास्क के आधार पर भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी, 2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित अधिसूचना के क्रम में लेख है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 1.1.2011 से अकुशल शारीरिक कामगारो के लिये न्यूनतम मजदुरी रू. 119/– प्रति दिवस (प्रति सलंग्न) कर दी गयी है। अतः योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 1.1.2011 से टास्क के आधार पर रू. 119/– प्रति दिवस न्यूनतम मजदुरी के अनुसार सभी कार्यकारी एजेन्सीयों को सूचित करते हुये भुगतान करवाने की व्यवस्था करावें। यदि किसी कार्य पर दिनांक 1.1.2011 के बाद की अवधि का भुगतान न्यूनतम मजदुरी दर रू. 100/– प्रति दिवस के आधार पर कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के एरियर का भी भुगतान किया जावे।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
25/1/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्यक प्रथम एवं द्वितीय, ईजीएस समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

D:\Himanshu Gaur\o.p.mathur\general.doc

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2011/पौष 24, 1932

No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2011/PAUSA 24, 1932

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

का.आ. 82(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 1 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1(अ) के अधिक्रमण में, इसे अधिक्रमित करने से पहले किए जाने वाले अथवा नहीं किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के मामले में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत अकुशल शारीरिक कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी दर को तारीख 1 जनवरी, 2011 से कॉलम (3) के तहत निर्धारित करती है, अर्थात् :—

अकुशल शारीरिक कामगारों के लिए राज्य-वार मजदूरी दर (रु. प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति दिन मजदूरी दर
(1)	(2)	(3)
1	असम	130.00 रु.
2	आंध्र प्रदेश	121.00 रु.
3	अरूणाचल प्रदेश	क्षेत्र-I (118.00 रु.) क्षेत्र-II (118.00 रु.)
4	बिहार	120.00 रु.
5	गुजरात	124.00 रु.
6	हरियाणा	179.00 रु.
7	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 120.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र के लिए 150.00 रु.
8	जम्मू व कश्मीर	121.00 रु.
9	कर्नाटक	125.00 रु.
10	केरल	150.00 रु.
11	मध्य प्रदेश	122.00 रु.
12	महाराष्ट्र	127.00 रु.
13	मणिपुर	126.00 रु.
14	मेघालय	117.00 रु.
15	मिजोरम	129.00 रु.
16	नागालैंड	118.00 रु.
17	उड़ीसा	125.00 रु.
18	पंजाब	
18(क)	होशियारपुर	124.00 रु.
18(ख)	जालंधर	124.00 रु.
18(ग)	नवांशहर	124.00 रु.
18(घ)	अमृतसर	130.00 रु.
19	राजस्थान	119.00 रु.
20	सिक्किम	118.00 रु.
21	तमिलनाडु	119.00 रु.

(1)	(2)	(3)
22	त्रिपुरा	118.00 रु.
23	उत्तर प्रदेश	120.00 रु.
24	प. बंगाल	130.00 रु.
25	छत्तीसगढ़	122.00 रु.
26	झारखण्ड	120.00 रु.
27	उत्तराखण्ड	120.00 रु.
28	गोवा	138.00 रु.
29	अंडमान व निकोबार	अंडमान जिला 170.00 रु. निकोबार जिला 181.00 रु.
30	दादर व नगर हवेली	138.00 रु.
31	दमन व दीव	126.00 रु.
32	लक्षद्वीप	138.00 रु.
33	पुदुचेरी	119.00 रु.
34	चंडीगढ़	174.00 रु.

[फा. सं. जे-11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग)]

पी. के पाधी, मुख्य आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2011

S.O. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 1(E), dated the 1st January, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the wage rate payable to the unskilled manual workers under column (3) in respect of the State or the Union Territory mentioned in column (2) of the Schedule given below, working on various Schemes under the said Act, with effect from the 1st day of January, 2011, namely :—

State Wise Wage rate for Unskilled Manual Workers (Rs. per Day)

S. No.	Name of State/Union Territory	Wage rate in Rs. per Day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 130.00
2	Andhra Pradesh	Rs. 121.00
3	Arunachal Pradesh	Area-I (Rs. 118.00) Area -II(Rs. 118.00)
4	Bihar	Rs. 120.00
5	Gujarat	Rs. 124.00
6	Haryana	Rs. 179.00
7	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 120.00 Scheduled Areas-Rs. 150.00
8	Jammu and Kashmir	Rs. 121.00
9	Karnataka	Rs. 125.00
10	Kerala	Rs. 150.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 122.00
12	Maharashtra	Rs. 127.00
13	Manipur	Rs. 126.00
14	Meghalaya	Rs. 117.00
15	Mizoram	Rs. 129.00
16	Nagaland	Rs. 118.00
17	Orrisa	Rs. 125.00
18	Punjab	
18(a)	Hoshiarpur	Rs. 124.00
18(b)	Jalandhar	Rs. 124.00
18(c)	Nawanshar	Rs. 124.00
18(d)	Amritsar	Rs. 130.00
19	Rajasthan	Rs. 119.00
20	Sikkim	Rs. 118.00
21	Tamil Nadu	Rs. 119.00
22	Tripura	Rs. 118.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 120.00
24	West Bengal	Rs. 130.00
25	Chhatisgarh	Rs. 122.00
26	Jharkhand	Rs. 120.00
27	Uttrakhand	Rs. 120.00
28	Goa	Rs. 138.00
29	Andaman and Nikobar	Andaman District Rs. 170.00 Nikobar District Rs. 181.00
30	Dadra and Nagar Haveli	Rs. 138.00
31	Daman & Diu	Rs. 126.00
32	Lakshadweep	Rs. 138.00
33	Punducherry	Rs. 119.00
34	Chandigarh	Rs. 174.00

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA (Pt)]

P. K. PADHY, Chief Economic Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.